

### पडत भांग समूह हेतु निविदा सूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के लिये दिनांक 2.03.2009 को द्वितीय चरण निविदा के पश्चात् निम्नलिखित पडत (unlifted) रहे 10 भांग समूहों के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) स्वीकृत करने हेतु निविदा प्रपत्र में उल्लेखित मूल आरक्षित राशि के 80 प्रतिशत पर निविदाएं आमन्त्रित की जाती है :-

क्र.सं.	पडत भांग समूह का नाम	क्र.सं.	पडत भांग समूह का नाम
1	दौसा	6	चुरु (श्री डूंगरगढ तहसील को छोडकर)
2	झुन्झुनूं	7	हनुमानगढ
3	सीकर	8	जालोर
4	बाडमेर	9	उदयपुर शहर-साायरा- गोगुन्दा-झाडोल-मावली
5	बीकानेर(श्रीडूंगरगढ तहसील सहित)	10	राजसमन्द

मुख्य शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भांग समूहों हेतु संशोधित आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अमानत राशि (earnest money) निविदा के साथ देय होगी । यह राशि निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों के अनुसार आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में ट्रेजरी चालान द्वारा राजकोष में जमा करानी होगी अथवा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है । निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
2. निविदा के सम्बन्ध में अन्य सभी शर्तें पूर्व निविदा सूचना दिनांक 04.02.2009, निविदा प्रपत्र, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तें तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार होगी । निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नहीं होगी ।
3. निविदा प्रलेख निर्धारित राशि रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) का भुगतान कर इस कार्यालय तथा समस्त जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है ।
4. इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में दिनांक 12.03.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर में प्रस्तुत कर सकते है । फेक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत निविदा मान्य नहीं होगी । प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी । आबकारी आयुक्त को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(सी.पी.व्यास)  
आबकारी आयुक्त,  
राजस्थान, उदयपुर